मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 21 जनवरी, 2013 को सांय 3:00 बजे विज्ञान भवन एनेक्सी, कमेटी रूम-ए, नई दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मानव संसाधन विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 21 जनवरी, 2013 को नई दिल्ली में किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक-। पर है।

2. समिति के सदस्य-सचिव, संयुक्त सचिव (केविवि एवं भाषाएं) ने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि जून, 2012 में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार समिति की यह बैठक छः महीने के अंतराल पर आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मंत्रालय ने राजभाषा के उपयोग के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। पिछले छः माह में दो हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई। मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ 24 कार्यालयों का निरीक्षण भी किया। 70 कार्यालयों की बेबसाइट द्विभाषी बना ली गई है। अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति की जा रही है। उन्होंने समिति के सदस्यों का पुनः स्वागत करते हुए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध किया कि वे उपस्थित सदस्यों एवं अधिकारियों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें।

3. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा और भाषा का बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। भाषा के बिना शिक्षा संभव नहीं है। भाषा के बिना शिक्षित समाज भी संभव नहीं है। पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए इसे निश्चित ही एक संपर्क भाषा की आवश्यकता है और वह भाषा निःसंदेह रूप से हिन्दी ही हो सकती है। हमें सरल और सुबोध हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। अन्य भारतीय भाषाओं के लोकप्रिय व प्रचलित शब्दों को अपनाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में समिति के सदस्यों ने चर्चा के दौरान कुछ मुद्दे उठाए थे। उन पर मंत्रालय ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि बैठक में माननीय सदस्यों से जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उन पर अमल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके पश्चात समिति के सभी सदस्यों ने माननीय मंत्री जी को क्रमवार अपना परिचय दिया। तत्पश्चात् बैठक की कार्रवाई आरम्भ हुई।

4. समिति के सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि इस समिति की दिनांक 4 जून, 2012 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त समिति के सभी सदस्यों में परिचालित कर दिया गया था। समिति के सदस्यों से प्राप्त आपत्तियों के बारे में शुद्धि पत्र जारी कर दिए गए थे। समिति के सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से कार्यवृत्त की पुष्टि की।

5. डा. राम प्रकाश, संसद-सदस्य ने बैठक की कार्यसूची पर चर्चा आरम्भ करते हुए कहा कि :-

i. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी/संस्कृत विभाग नहीं हैं। हरियाणा जैसे हिन्दी भाषी प्रान्त में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय में भी हिन्दी विभाग नहीं है। यह चिन्ता का विषय है। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी स्वयं रूचि लेकर इस दिशा में आवश्यक निदेश देने का कष्ट करें।

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

ii. विश्वविद्यालयों में देवनागरी लिपि का भी एक विभाग बनाया जाना चाहिए। जिन बोलियों के लिए लिपि की जरूरत है उनको देवनागरी के तौर पर एक लिपि दी जाए।

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

iii. हिन्दी के पठन-पाठन के साथ-साथ संस्कृत के पठन-पाठन की भी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि यह अधिकांश क्षेत्रीय भाषाओं की जननी है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि पंजाबी में गांव को 'पिन्ड' कहते हैं। 'पिन्ड' का अर्थ है 'समूह'। एक आदमी ने जो गांव बसाया उसी के परिवार के लोग आगे बढ़ते चले गए, पूरा गांव बन गया। यह मूल संस्कृत का शब्द है। अतः हमें संस्कृत भाषा के अध्ययन-अध्यापन की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

(कार्रवाई : भाषा प्रभाग)

6. डा. वाई. लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि :-

i. सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी एकमात्र भाषा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। पूर्व में भी ऐसा हुआ है, जब आयोग के अध्यक्ष उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने आयोग के सचिव को भी बैठक में भाग लेने के लिए नहीं भेजा। संयुक्त सचिव को बैठक में भाग लेने के लिए भेजा है जो निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आयोग से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय में अलग से बैठक बुलाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग में हिन्दी सेल नहीं है। वहाँ हिन्दी का कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने पुनः अनुरोध किया कि सचिव (उच्चतर शिक्षा) के स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए उप समिति बनाकर एक बैठक बुलाई जाए।

(कार्रवाई : राजभाषा प्रभाग)

ii. सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी पदों का सृजन किया जाए। पदों का सृजन किए जाने तक विश्वविद्यालयों में उपलब्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से ही हिन्दी सेल बनाया जाए।

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

iii. हिन्दी भाषी राज्यों के डीम्ड विश्वविद्यालयों में, जिन्हें आयोग द्वारा अनुदान दिया जाता है तथा जो एम.एच.आर.डी एवं नैक द्वारा 'ए' ग्रेड का दर्जा प्राप्त हैं, उन विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग खोले जाएं।

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

iv. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड, रॉची में हिन्दी विभाग नहीं है। इनमें हिन्दी विभाग की स्थापना की जाए।

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

v. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में हिन्दी में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, कम्पयूटरों में हिन्दी साफ्टवेयर नहीं है, पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

vi. जिस तरह आयोग में उच्च स्तरीय राजभाषा समिति का गठन किया गया उसी प्रकार इग्नू में भी ऐसी समिति का गठन किया जाए जिसमें इस मंत्रालय और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों का रखा जाए।

(कार्रवाई : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय)

vii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उच्च स्तरीय राजभाषा समिति की 15 जून, 2012 को सम्पन्न हुई बैठक में लिए गए निर्णयों तथा उन पर आयोग द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित सुझाव के उत्तर में आयोग द्वारा दिया गया विवरण पूर्णतः गलत है। उन्होंने कहा कि नवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में आयोग के कम से कम दो प्रतिनिधियों को भेजने के बारे में पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के उपरांत भी आयोग द्वारा किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा गया।

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

viii. हिन्दी से संबंधित प्रोजक्टों के चयन के संदर्भ में भी आयोग ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने पुनः अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अलग से बैठक बुलाई जाए।

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राजभाषा प्रभाग)

ix. किन-किन राज्यों में शब्दावली बनाने के लिए अकादमी बनाई जा रही है, जिन्हें धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, किन-किन राज्यों को किन-किन भाषाओं के लिए क्या सहायता दी गई है। इसकी सूचना समिति के सदस्यों को दी जाए।

(कार्रवाई : वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग)

7. डा. हरखू झा ने समिति को सुझाव दिया कि जिन विश्वविद्यालयों अथवा डीम्ड विश्वविद्यालयों को आयोग द्वारा अनुदान दिया जाता है उनमें हिन्दी विभाग की स्थापना की जाए।

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

8. डा. राम प्रकाश शर्मा ने कहा कि :-

i. इग्नू एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में उच्च स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाए।

(कार्रवाई : इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्)

ii. दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत 60 महाविद्यालय हैं। सभी महाविद्यालयों के प्रोस्पेक्टस और परिचय पत्र अंग्रेजी में हैं। उन्हें द्विभाषी रूप में तैयार किया जाए।

(कार्रवाई : दिल्ली विश्वविद्यालय)

iii. महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन में शीघ्र ही हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी अनुवादक के पदों का सृजन किया जाए।

(कार्रवाई : भाषा प्रभाग)

iv. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों/ विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कार्यरत् हिन्दी अधिकारियों के पदनाम, वेतनमान एक समान होने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर चार आई आई टी हैं, तो प्रत्येक आई आई टी के हिन्दी अधिकारियों के पदनाम और वेतनमान अलग-अलग हैं। अतः इस ओर ध्यान दिया जाए।

(कार्रवाई : राजभाषा प्रभाग)

v. भारतीय भाषाओं को यदि देवनागरी लिपि में लिखा जाए तो सभी के लिए सुविधाजनक होगा। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

(कार्रवाई : केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा)

9. प्रो. निर्मला जैन ने कहा कि अलग-अलग विश्वविद्यालयों में हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय खोलने के सुझाव दिए जा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी यह निदेशालय बहुत वर्षों से चल रहा है। जरूरी यह है कि उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि उसने क्या काम किया। यह भी हो सकता है कि प्रत्येक कार्यान्वयन निदेशालय एक ही विषय की एक ही पुस्तक अनुवाद कर रहे हों। ऐसे दुहराव रोकने के लिए कोई तंत्र बनाया जाना चाहिए।

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

10. श्री हिमांशु जोशी का कहना था कि 64 साल में भी हम हिन्दी को वह स्थान नहीं दिला पाए कि यह कहा जा सके कि हमारी भी कोई राष्ट्रभाषा है। उन्होंने कहा कि हमें चिन्तन करना चाहिए जिससे कि हिन्दी हमारे हृदय की आवाज बने।

11. श्री हामिद अली ने कहा कि :-

i. उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनेक बार पत्र हिन्दी में भेजे परंतु आयोग द्वारा हिन्दी में लिखे पत्र का उत्तर ही नहीं दिया गया। स्थिति यह है कि आयोग में न तो हिन्दी सेल बन पाया और न ही उन्होंने हिन्दी पत्रों का जवाब देना उचित समझा।

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

ii. देश में बहुत सारे मदरसे हैं जिन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुदान दिया जाता है, इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ एक विषय के रूप में हिन्दी भाषा भी पढ़ाई जाए। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने कहा कि देवबन्द एक ऐसा मदरसा है जहाँ धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ अंग्रेजी एवं हिन्दी भी पढ़ाई जाती है। जिन मदरसों में बारहवीं तक की शिक्षा दी जा रही है उनमें अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों विषय भी अवश्य पढ़ाए जाएं।

(कार्रवाई : ई.ई.-11)

iii. दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हिन्दी विभाग हैं लेकिन इन कॉलेजों में हिन्दी में काम नहीं होता है। इन कॉलेजों के फार्म, प्रोस्पेक्टस केवल अंग्रेजी में हैं। ज्यादातर कॉलेजों की वेबसाईट भी हिन्दी में नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन फार्म द्विभाषी हैं परंतु जिस कॉलेज में एडमिशन लेना होता है वहाँ छात्रों को प्रोस्पेक्टस लेने और उस कॉलेज का फार्म भरने को कहा जाता है। इन कॉलेजों के प्रोस्पेक्टस भी केवल अंग्रेजी में हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की एक समिति बनाकर स्थिति की समीक्षा की जाए।

(कार्रवाई : दिल्ली विश्वविद्यालय)

12. दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि :-

i. विश्वविद्यालय में केन्द्रीयकृत फार्म हैं। किसी भी छात्र को किसी कॉलेज का फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आया तो उसकी जांच की जाएगी। सभी प्रधानाचार्यों की एक समिति गठित की जा चुकी है जिसमें स्थिति की चर्चा की जाएगी।

ii. दिल्ली विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए हिन्दी पढ़ना अनिवार्य है, यह प्रस्ताव एकेडमिक काउंसिल से पारित करा दिया गया है।

13. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव ने कहा कि :-

i. यदि सभी विधाओं की शिक्षा का माध्यम हिन्दी बना दिया जाए तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज कल क्लिष्ट हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग यदि अपनी शब्दावली (Terminology) का पुनरीक्षण कर उसे आसान और समसामयिक बना सके तो उससे सभी को सुविधा होगी।

(कार्रवाई : वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग)

ii. यदि संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं के शब्दों को लेकर हिन्दी को समृद्ध बनाया जाए तो यह अत्यंत उपयुक्त होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस दिशा में कार्रवाई करे।

(कार्रवाई : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय)

14. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने समिति को सूचित किया कि उनके विश्वविद्यालय द्वारा राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें प्रत्येक कम्प्यूटर में यूनिकोड सॉफ्टवेयर डालना, हिन्दी प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय में व्यवस्था करना, सेवा पुस्तिकाओं में शत-प्रतिशत हिन्दी में प्रविष्टियां करना,

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन करना आदि शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव स्तर के अधिकारी के अधीन हिन्दी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। दो पद रिक्त हैं, उनको भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के 67 क्षेत्रीय कार्यालयों में मानीटरिंग समिति का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इग्नू में एक समिति गठित की गई है जो समय-समय पर अपने क्षेत्रीय कार्यालयों की निरीक्षण करती है।

15. वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष ने आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया।

16. महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के कुलपति ने अपने विश्वविद्यालय की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए समिति को सूचित किया कि उनका विश्वविद्यालय विश्व के ऐसे सभी विश्वविद्यालयों, जिनमें हिन्दी पढ़ाई जाती है, के बीच समन्वयक का काम कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के बाहर विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में किसी न किसी रूप में हिन्दी मौजूद है। उनके विश्वविद्यालय द्वारा 60 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ सम्बन्ध कायम किया गया है।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा मंत्रालय की पत्रिका 'शिक्षायण' का विमोचन करने एवं आमंत्रित सभी को धन्यवाद देने के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

*****

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 21 जनवरी, 2013 को विज्ञान भवन एनेक्सी, कमेटी रूम-ए, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची।

1.	श्री एम.एम. पल्लम राजू माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री शशि थरूर माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री	सदस्य

I. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

1.	श्री अशोक ठाकुर, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
2.	श्री आर. भट्टाचार्य, सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	सदस्य
3.	श्री अनन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (के.वि.वि एवं भाषाएं), उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य-सचिव
4.	अपूर्व चंद्रा, संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा-II	
5.	सुश्री राकेश शर्मा, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य

II. गैर सरकारी सदस्य

1.	श्री श्यामल चक्रवर्ती, संसद सदस्य	सदस्य
2.	डा. राम प्रकाश, संसद सदस्य	सदस्य
3.	डा. वाई. लक्ष्मी प्रसाद, अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश हिन्दी अकादमी	सदस्य
4.	श्री हरखु झा	सदस्य
5.	श्री हिमांशु जोशी	सदस्य
6.	डा. राम प्रकाश शर्मा	सदस्य
7.	सैयद हामिद अली	सदस्य
8.	प्रो. निर्मला जैन	सदस्य

III. <u>विशेष आमंत्री</u>

9.	प्रो0 दिनेश सिंह, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय,	
10.	श्री. यू.एस. टोलिया, कुल सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	

IV. <u>सरकारी सदस्य</u>

11.	श्री डी.के. पाण्डेय, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
12.	श्री विभूति नारायण राय, कुलपति, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	सदस्य
13.	श्री विनीत जोशी, अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	सदस्य
14.	श्रीमती रेणु बाप्पना, सलाहकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	ए.आई.सी.टी.ई की प्रतिनिधि
15.	अविनाश दीक्षित, आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन	सदस्य
16	श्री जी.एस. बोथयाल, आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति	सदस्य
17.	श्री गया प्रसाद, निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन	सदस्य
18.	प्रो. मोहन, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान	सदस्य
19.	डा. केशरी लाल वर्मा अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग तथा निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	सदस्य
20.	श्री उदय नारायण खावड़े, सचिव, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान	सदस्य
21.	प्रो0 अवधेश कुमार मिश्रा, निदेशक, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान	सदस्य
22.	एस. रामकृष्णा, निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	सदस्य
23.	डा. उर्मिला देवी, संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रतिनिधि
24.	श्री बी.के. त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	एन.सी.ई.आर.टी. के प्रतिनिधि